लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

दूरभाषः 0755–2583650, फैक्सः 2583651, ई–मेलः coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 100 भोपाल, दिनांक 26.5.18

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 14.05.2018 का कार्यवाही विवरण बावत्।

विषयान्तर्गत दिनांक 14.05.2018 को आयोजित का वीडियो कान्फ्रेसिंग कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अंजु पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा0क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 101 भोपाल, दिनांक 26.5.18

प्रतिलिपिः–
1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 14.5.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.05.2018 को मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के N.I.C. कक्ष क्रमांक 66 में सायं 4 बजे से प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित हुई। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में संचालनालय से आयुक्त लोक शिक्षण, अपर परियोजना संचालक आर. एम.एस.ए., संचालक, संयुक्त संचालक उप संचालक सहायक संचालक, प्रोग्रामर तथा राज्य शिक्षा केन्द्र के अधिकारीगण उपस्थित हुये। सर्वप्रथम संचालक जी के द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित हुये अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की गई। समस्त संभागों के संयुक्त संचालक उपस्थित थे तथा जिला शिक्षा अधिकारियों में कटनी के अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि भी उपथित नहीं हुये। भिण्ड डीईओ अवकाश पर, श्योपुर एवं शिवपुरी डीईओ न्यायालीयन प्रकरण में उपस्थित होने से उनके स्थान पर एडीपीसी उपस्थित हुये। उक्त दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेन्स में उपस्थित कराने के निर्देश आयुक्त महोदय के द्वारा दिये गये। शहडोल संभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ट्रेनिंग में होने के कारण तीनों जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अलीराजपुर के जिला शिक्षा अधिकारी वी0सी0 में उपस्थित नहीं हुये। कुछ जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल में ट्रेनिंग लेने उपस्थित थे, वे सभी भोपाल के एनआईसी केन्द्र से वी0सी0 में सम्मिलित हुये। होशंगाबाद संभाग में होशंगाबाद से सहायक संचालक उपस्थित हुये उज्जैन संभाग के आगर–मालवा में कनेक्टीविटी की प्राब्लम होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क नहीं हो सका।

2. आयुक्त महोदय के द्वारा दिनांक 14.05.2018 को घोषित किये गये कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम में नीमच जिलें के द्वारा प्रथम स्थान एवं दमोह, देवास जिले के द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किये जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाऐं दी गई। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं में जिलों की रैंकिंग तय करने की परम्परा इसी वर्ष से प्रारंभ की गई है।

4. आयुक्त महोदय के द्वारा समस्त उपस्थित अधिकारियों को दिनांक 18.05.2018 को जिले एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित होने वाले परिवेदना शिविर के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं जानकारी दी गई कि उक्त शिविर में जिन न्यायालयीन प्रकरणों में आदेश पारित कर दिये गये है, उन्हीं प्रकरणों में अभ्यावेदन के साथ न्यायालयीन आदेश एवं रिट पीटिशन की कॉपी भी आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें। अन्य न्यायालयीन प्रकरणों के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जानें। शेष अन्य विविध समस्याओं से संबंधित समस्त प्रकार के अभ्यावेदन निराकरण हेतु स्वीकार किये जावें। जिन अभ्यावेदनों को निराकरण तत्काल किया जाना संभग हो उन्हें तत्काल निराकृत किया जावें। शिविरि में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन जिनका निराकरण प्राचार्य स्तर से होना है, उन्हें छोड़कर शेष अभ्यावेदनों का पूर्ण विवरण सहित जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिनांक 19.05.2018 को प्रेषित कर दी जावें, जिससे जिला स्तर पर तय समयवाधि में इन अभ्यावेदनों पर कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सकें। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित् करें कि प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण यदि संचालनालय स्तर से

किया जाना है, तो वह ऐसे अभ्योवदनों की एकल नस्ती बनाकर संचालनालय को निराकरण हेतु प्रस्तुत करें।

प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा/समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देश –

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 300 दिवस से अधिक विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की अतिशीघ्र किये जाने एवं विभाग की स्थिति 300 दिवस से अधिक लंबित रहने वाले प्रकरणों में द्वितीय होने की जानकारी देते हुये विभाग के 1898 प्रकरण जो कि विभिन्न स्तरों पर लंबित है, को भी इन्हीं शिविरों में निराकृत किये जाने का प्रयास किया जावें।
2. अनुकंपा नियुक्ति, अतिथि शिक्षकों के मानदेय संबंधी लंबित 622 प्रकरणों को तत्काल निराकृत किया जावें।
3. समग्र छात्रवृत्ति से संबंधित 738 एल–4 पर एवं छात्रवृत्ति से संबंधित अन्य 2027 प्रकरणों को शीघ्र निराकरण किया जावें।
4. टीकमगढ़ जिलें में छात्रवृत्ति के 77 सायकल के 92 प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुये उन्हें निराकृत कराने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिये गये।
5. सी0एम0हेल्प लाईन के फोर्स क्लोज वाले प्रकरणों में पूर्ण जानकारी समस्त सहपत्रों सहित नस्ती को संचालनालय में भेजे जाने के निर्देश दिए।
6. कक्षा 6वीं एवं 9वीं की सायकल वितरण संबंधी एल–4 पर लंबित 242 प्रकरणों का पूर्ण रूप से निराकरण किया जावें।
7. एल–4 के प्रकरणों में निराकरण हेतु संचालनालय में आने पर पूर्ण जानकारी के साथ ही उपस्थित होवें।
8. एल–1 पर प्राप्त शिकायत में बच्चों को अपात्र/पात्र बताये जाने पर उसका कारण आवश्यक रूप से दर्शाया जावें।
9. हितगाही मूलक वाली योजनाओं की एल–4 की शिकायतों में कारण आवश्यक रूप से दशार्या जावें जिससे कि इनको पूर्ण रूप से क्लोज किया जा सकें ।
10. 30 मई से पूर्व छात्रवृत्ति एवं गणवेश वितरण संबंधित कार्यो को पूर्ण कर लिया जावें।
11. कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम में अपेक्षा से कम वृद्धि हुई है, इसे और अधिक बढ़ाये जाने के प्रयास किये जावें।
12. जिलों की रैकिंग को 30 मई तक जारी किये जाने हेतु एवं इसकी प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वय की गोपनीय चरित्रावली में किये जाने हेतु आयुक्त को निर्देश दिये गये।
13. मान0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा एम शिक्षा मित्र से उपस्थिति दर्ज कराये जाने संबंधी योजना/कार्य को किसी के लिये भी अपमानजक स्थिति निर्मित नहीं होना बताते हुये इसे पुनः प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये जाने एवं भारत शासन के द्वारा जिलों की रैकिंग तय की जा रही है उक्त रैंकिंग में एम शिक्षा मित्र को भी

सम्मिलित किया गया है। अतः जिलों की रैकिंग सुधारने हेतु सभी अधिकारियों को अवगत कराते हुये तत्विषयक अतिशीघ्र निर्देश जारी किये जाने हेतु कहा गया।

14. एम शिक्षा मित्र के संबंध में विस्तृत जानकारी/प्रजेंटेशन श्री सुमनकांत जैन, प्रोग्रामर को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री जैन के द्वारा प्रजेन्टेशन के माध्यम से एम शिक्षा मित्र के संबंध में विस्तृत रूप सेसमस्त उपस्थित अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करायी गई। एम शिक्षा मित्र से संबंधित निर्देश **परिशिष्ट –2** पर संलग्न है।
15. शिक्षक जहां पर कार्य कर रहा है उसकी उपस्थिति उसी स्थान से दर्ज हो जायेगी।
16. शिक्षक विहीन शालाओं में जहां शिक्षक अन्य शालाओं से कार्य करने हेतु लगाये गये है उनकी उपस्थिति भी वहीं से दर्ज हो जायेगी।
17. 30 मई से 5 जून तक एम शिक्षा मित्र के क्रियान्वयन का कार्य पूर्ण कर लिया जावें।
18. आगामी प्रारंभ होने वाले सत्र में समस्त शिक्षकों की उपस्थिति इसी से दर्ज की जावें।
19. जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है वहां पर उपस्थिति जब भी संबंधित शिक्षक नेटवर्क में आयेगें तो उपस्थिति स्वतः ही लग जायेगी।
20. जिन क्षेत्रों में नेटवर्क उपलब्ध रहता है, उन क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की जा रही है यह जानकारी 30 मई तक संचालनालय में एकत्रित कर ली जावें।
21. जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा कुछ जगहो पर बीआरसी /बीएसी/सीएसी के प्रभार के अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने के भी आदेश है, के संबंध में स्पष्ट किया गया कि उनकी वेतन व्यवस्था उनकी मूल संस्था से ही रहेगी। यदि किसी शिक्षक को एक कार्य के साथ अन्य कार्यो में संलग्न किया जाता है, तो इसकी अनुमति संचालनालय से ली जावें।
22. युक्तियुक्तकरण के तहत लगभग 7500 शिक्षकों के आदेश जारी किये गये है की अप्रैल पेड इन मई का वेतन संबंधी डाटा (सत्र के प्रांरभ होने से पूर्व) तत्काल भेजा जावें।
23. भोपाल जिलें में नामांकन को बढ़ाकर युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों को बचाया गया है उन विद्यालयों पर 15 दिवस के अन्दर कार्यवाही की जावें।
24. अध्यापकों के सम्पूर्ण कार्य HIMRS से ही होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में डबल सिस्टम पर कार्य नहीं किया जावें।
25. ई–सर्विस बुक से संबंधित एवं अन्य प्रकार के लंबित प्रकरण जिनका वेरिफिकेशन हो गया है उन्हें तत्काल निराकृत किया जावें।
26. स्थानान्तरण नीति 1 जून से आने के समय पर HIMRS दर्ज डाटा के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित् की जावें।
27. जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को उनके जिलें में सायकल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कार्यो में जिलें में कार्यो के संपादन एवं कार्यो के अधिक अवधि तक लंबित रहने पर

नाराजगी व्यक्त की गई, साथ ही इसी प्रकार विलम्बता होने पर जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु कहा गया।

28. जिला शिक्षा अधिकारी सतना को उनके जिलें में विभिन्न योजनाओं के 25 प्रतिशत ही कार्य होने एवं शेष कार्य लंबित होने पर उन्हें तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए गए।

29. समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को सायकल वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, पाठ्यपुस्तक वितरण एवं अन्य योजनाओं से संबंधित कार्यो एवं शिक्षकों/कर्मचारियों से संबंधित वेतन एवं अन्य कार्यो को 20 दिवस के अन्दर पूर्ण किया जावें।

30. केरियर काउन्सिलिंग के संबंध में मान0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हेतु निर्धारित समय से 1 घन्टा पूर्व छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम स्थल पर पहुॅचाना सुनिश्चित् किया जायें।

31. दिनांक 21.05.2018 को मान0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल किये जाने हेतु समस्त व्यवस्था सुनिश्चित् की जावें।

32. अशासकीय विद्यालयों के छात्र/ छात्राओं को भी इस काउंसलिंग कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावें।

33. मुख्यमंत्री जी के केरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम अवधि में विभाग के द्वारा आयोजित अन्य बैठक/प्रशिक्षण इत्यादि को कुछ समय के लिये स्थगित कर आगामी तिथियों में रखा जावें।

34. बैतूल जिलें का 18 तारीख का तय प्रोग्राम किसी अन्य तिथि में रखने हेतु कहा गया।

35. कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा 10वीं कक्षा के विद्यायर्थियों के लिये भी काउंसिलिंग कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में स्पष्ट किया गया कि अभी केवल कक्षा 12वीं के विद्यायर्थियों के लिये काउंसलिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कक्षा 10वीं के विद्ययार्थियों के लिये यह कार्यक्रम एप्ट्यूटेस्ट के बाद आयोजित किया जावेगा।

36. सायकल वितरण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जावें कि किसी भी पात्र बच्चें को बिना कारण के अपात्र नहीं किया जावें। सही कारण होने पर ही बच्चों को अपात्र किया जावें।

37. 2018 तक पात्र बच्चों को सायकल वितरित नहीं किये जाने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की जावें।

38. यह कार्य 20 तारीख तक पूर्ण कर लिया गया, इस प्रकार का प्रतिवेदन संचालनायल को प्रस्तुत किया जावे।

39. दिनांक 07.02.2018 को जिला मुख्यालय पर ओपन स्कूल के कार्यालय खोलने (प्रारंभ) किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये थे तत्विषयक ही यह स्पष्ट किया गया कि शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के जो भवन जर्जर है एवं जिनमें

शालाऐं संचालित नहीं हो रही है, ऐसी शालाओं को ओपन स्कूल के जिला मुख्यालय पर कार्यालय खोलने हेतु दी जावें।

40. 15 जून के पूर्व सर्वप्रथम हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था संबंधी कार्यवाही की जावें तद्उपरान्त ट्रयबल एवं नान ट्रयबल एरिया के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अतिथि रखे जाने के कार्यवाही पूर्ण कर ली जावें।

41. जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना को एक कन्टेम प्रकरण में प्रमुख सचिव, आयुक्त की लगाई गई व्यक्तिगत उपस्थिति के पूर्व से ही कार्यवाही कर भुगतान की कार्यवाही कर न्यायालय को कम्प्लाईन की जानकारी देने हेतु कहा गया जिससे की व्यक्तिगत उपस्थिति से बचा जा सके।

42. स्कूल चले अभियान को प्रारंभ करने के संबंध में पालकों से चर्चा की जावें।

43. गॉव/विकास खण्ड/जिले का कोई रहवासी पुलिस में शहीद हुये है, तो उनकी फोटो विद्यालयों में लगायी जानी है, 15 से 21 अथवा 22 तक कार्यक्रम में एक दिन सैनिकों के सम्मान के लिये रखा जावें। सैनिकों के सम्मान हेतु सैनिक कार्यालय से शहीदों की जानकारी प्राप्त की जावें।

44. जिला एस0पी0 कार्यालय से भी पुलिस विभाग से शहीद हुये शहीदों की फोटोस एवं जीवनी प्राप्त की जाकर विद्यालय में लगायी जावें।

45. मध्यप्रदेश के जिलों से भी जितने सैनिक शहीद हुये है उनकी जानकारी कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त की जावें।

46. अन्तर निकाय संविलियन के लिये सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों पदों का पुनः वेरिफिकेशन का कार्य आगामी सोमवार तक कर लिया जावें जिससे की पोर्टल पर रिक्त पदों की स्थिति को दिखाया जा सकें।

47. जिलेवार, विषयवार पदों स्थिति उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों के लिये भी लागू होगी।

48. हाईकोर्ट में चल रहे अवकाश के उपरान्त हाईकोर्ट के कार्य प्रारंभ होने पर 203 कण्डेम के प्रकरणों में रिट फाईल की कार्यवाही की जावें।

49. भोपाल जिलें में हेल्थ एजुकेशन के उपर आयोजित दिनांक 14.05.2018 की ट्रेनिंग उपरान्त इससे संबंधित 03 दिवस में एक्शन प्लान तैयार किया जावें।

50. समस्त उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट रूप कहा कि वह डायस में जो भी डाटा फीट कर रहे है उसी के आधार पर उनके जिलें की रैंक का निर्धारण होगा। अतः डायस में गलत एवं फर्जी जानकारी फीड न की जावें।

51. क्वालिटी एजुकेशन के अन्तर्गत स्थानीय विद्यालयों में निरन्तर ट्रेनिंग का कार्य करवाया जावें।

52. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों का ऐनरोल्मेंट का कार्य ठीक प्रकार से होना चाहिए इसकी समीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी गंभीरता से करें।

आयुक्त द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर दिये गये निर्देश :–

1. एम शिक्षा मित्र के माध्यम से ही समस्त विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपस्थिति लगवाई जाना सुनिश्चित् किया जावें। प्रत्येक कार्यालय यथा– जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बी.आर.सी.सी.में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति एम शिक्षा मित्र के माध्यम से लगाई जावें। इस एप के माध्यम से उपस्थिति का कार्य दिनांक 15.05.2018 से ही प्रारंभ कर दिया जावें।
2. जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा छात्रावासों का प्रभार सहायक अध्यापकों को दिये जाने संबंधी जिला कलेक्टरों के द्वारा किये गये समस्त आदेशों को संचालनालय में भिजवाना सुनिश्चित् किया जायें जिससे कि इन आदेशों को निरस्त किया जा सकें।
3. 41 जिला मुख्यालयों पर कन्या/बालक छात्रावास हेतु किराये के भवन चिन्हित किये जाने की जानकारी समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से चाही गई । इन्दौर में मल्हार आश्रम, खण्डवा, बुरहानपुर जिलें में व्यवस्था करने किये जाने की जानकारी दी गई शेष जिलें ट्रयबल होने से व्यवस्था करने में असमर्थता व्यक्त की गई। सागर जिला मुख्यालय पर व्यवस्था कर ली गई है शेष जिलों में अभी व्यवस्था न हीं गई है। ग्वालियर में श्योपुर, मुरैना के द्वारा व्यवस्था कर लिये जाने एवं शेष जिलों के द्वारा व्यवस्था नहीं किये जाने पर शहर में बन्द स्कूलों में व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये। यदि 1 कि0मी0 के दायरे में छात्रावास हेतु विद्यालय भवन/किराये का भवन उपलब्ध नहीं होता है तो उसकी जानकारी संचालनालय को दी जावें । उज्जैन संभाग में देवास, मंदसौर, नीचम में भवन के चिन्हांन की जानकारी दी गई, उज्जैन , शाजापुर में अभी भवन फाईनल नहीं किया गया है, आगर मालवा में उत्कृष्ट विद्यालय नहीं होने से भवन का चयन नहीं किये जाने की जानकारी दी गई। भोपाल संभाग में सुपर 100 का भवन, विदिशा में 02 प्रायवेट विद्यालय का चयन किया गया है। सुपर 100 के चयन के संबंध में निर्देश दिये गये कि सुपर 100 में छात्रावास नहीं खोला जावें।
4. छात्रावास खोलने हेतु जिलों में शासकीय भवन जो रिक्त पड़े है तथा अनुदान प्राप्त शालाओं का भी चयन छात्रावास खोलने हेतु किया जा सकता है।
5. होशंगाबाद संभाग में बैतूल में किराये का भवन चयन कर लिये जाने, होशंगाबाद में भी भवन का चयन करने तथा हरदा में केवल बालकों के लिये भवन का चयन किये जाने की जानकारी दी गई बालिकाओं हेतु अभी भवन की व्यवस्था की जानी है। शहडोल संभाग में शासकीय भवन की उपलब्धता नहीं होने पर विज्ञप्ति जारी करने से अवगत कराया गया। सिंगरौली में एक अन्य गर्ल्स होस्टल के खाली होने पर उसी में व्यवस्था करने की जानकारी दी गई।
6. जबलपुर संभाग में जबलपुर में जगह के चिन्हांकन होने, नरसिहंपुर में बालिकाओं हेतु चयन किया जाना है, सिवनी में 25 बच्चों के रहने के लिये ही भवन की उपलब्धता हो रही है, बालाघाट में कोई जगह नहीं मिलने, कटनी में भवन के चयन

हो जाने, मण्डला एवं डिण्डौरी में भवन के चयन नहीं होने की जानकारी संयुक्त संचालक द्वारा दी गई।

7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को वीडियो कान्फेंसिंग में छात्रावास के भवन के संबंध में हुई चर्चा के अनुसार प्रस्ताव दिनांक 25 मई तक संचालनालय को भेजने के निर्देश दिये गये।
8. शासकीय विद्यालयों के जमीन का सीमांकन कराया जावें।
9. मॉडल स्कूलों की भूमि एवं 100–100 सीटर होस्टलों के लिये उपलब्ध करायी गई भूमि का सीमांकन भी करा लिया जावें।

केरियर काउंसलिंग के संबंध में निर्देश :–

1 मान0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 21 मई को मॉडल हायर सेकेण्डरी विद्यालय भोपाल से बच्चों को केरियर काउंसलिंग के संबंध में संबोधित करेगें।

.2 केरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम 21 से 30 मई के दौरान आयोजित किया गया जिसमें लगभग 1 लाख 12 हजार बच्चों को सम्मिलित कराया जाना है।

3 केरियर काउंसलिंग हेतु बच्चों को एम0पी0ऑनलाईन के माध्यम से मैसेज करावाया जावें।

4 जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालयों में ही केरियर काउंसलिंग का आयोजन किया जावें।

5 जिलें के जिन विद्यालयों में 10 से अधिक संख्या में कम्प्यूटर की व्यवस्था हो उन्हीं शालाओं में केरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जावें।

6 हायर एजुकेशन, कौशल विभाग से भी काउन्सरों की व्यवस्था की जावें।

7 केरियर काउंसलिंग के संबंध में विस्तृत निर्देशों का पत्र मेल के माध्यम से समस्त उपस्थित अधिकारियों को भेजने की जानकारी भी दी गई।

8 केरियर काउंसलिंग की व्यवस्था जिस विद्यालय में की जावें वहॉ बच्चों के पानी, लाईट जनरेटर, कूलर, पॅखें आदि की व्यवस्था भी जावें।

9 केरियर काउंसलिंग का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, अकाशवाणी एवं अन्य चैनलों पर कराये जाने की व्यवस्था की जावें।

10 परख के माध्यम से केरियर काउंसलिंग कार्यक्रम की जानकारी कलेक्टरों को भी दी जावें।

11 समस्त बच्चों को एक साथ आने की सूचना न दी जावें। ग्रूप बनाकर, प्रत्येक ग्रूप के लिये दो–दो घन्टे का समय निर्धारित किया जावें।

12 प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय को इसकी सूचना दी जावें की वह उनके यहॉ अध्ययनरत कक्षा 12वीं के बच्चों को इस केरियर काउंसलिंग कार्यक्रम में सम्मिलित कराना सुनिश्चित् करें।

13 रूक जाना नहीं योजना के तहत ओपन स्कूल के संचालक श्री पीक0आर0 तिवारी जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं में फैल हुये विद्यायर्थियों के लिये ओपन स्कूल से पुनः परीक्षा दिये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है जिसमें वह आज से ही अपना फार्म भर सकते है। इस योजनान्तर्गत 9 जून से परीक्षाऐं प्रारंभ होगी।

जिलेवार सायकल वितरण की समीक्षा :–

अपर परियोजना संचलक द्वारा कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं के बच्चों को वितरित की जाने वाली सायकिलों की जिलेवार समीक्षा की गई। समीक्षा में जिलेवार स्थिति के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिये गये :–

1. सत्र 2016–17 की कक्षा 6वीं एवं 9वीं की सायकिलों के अभी तक चैंचिस नम्बर उपलब्ध नहीं कराये गये है, वे सभी तत्काल चैचिस नम्बर की जानकारी उपलब्ध कराये।
2. सत्र 2017–18 की सायकल वितरण हेतु कुछ जिलों के द्वारा बच्चों के पात्र अपात्र का कार्य अभी तक नहीं किये जाने से उन्हें सायकल वितरण करने में विलम्ब होने पर तत्काल बच्चों का वेरिफिकेशन करने हेतु कहा गया।
3. जिला छतरपुर, अनुपपूर, मुरैना, अलीराजपुर, सतना, शहडोल, सीधी के द्वारा बच्चों के बहुत अधिक संख्या में वेरिफिकेशन का कार्य लंबित होने से काफी नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही उन्हें यह कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु कहा गया।
4. सिवनी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनके जिलें के कक्षा 6वीं की 300 सायकिलें शेष बची होने के संबंध में उन्हें निर्देश दिये गये कि वह सायकिलों को न लाते हुये जिस ब्लाक में सायकिलें रखी हुई है उसी ब्लाक में बच्चों को ले जाकर सायकल वितरित करायें।
5. झाबुआ में कक्षा 6वीं की 5573 सायकिलों की डिमाण्ड होने पर केवल 5103 सायकिल ही प्राप्त होने की जानकारी देते हुये 100 अतिरिक्त सायकिलों की मॉग की गई है।
6. धार जिलें के द्वारा भी 783 सायकिलें कम प्राप्त होने से अवगत कराया गया।
7. कक्षा 6वीं की 16 जिलों में वितरण हेतु सायकिल कम होने से अवगत कराया गया। याथ– अलीराजपुर, बडवानी, भिण्ड, बुरहानपुर, धार, दतिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, गुना झाबुआ, मुरैना सागर सिवनी, श्योपुर शिवपुरी टीकमगढ आदि जिलों द्वारा मॉग की गई ।
8. कक्षा 6वीं की 4116 सायकिलें जिला स्तर पर पात्र एवं अपात्र के कार्य करने हेतु लंबित पाई गई है – रतलाम–166, सतना–108, सीहोर–113, आगरमालवा–104 ,अनुपपूर–134, अशोकनगर–128, भोपाल–104, छतरपुर–231, दमोह–244,

देवास–102, कटनी–292, खण्डवा–185, मण्डला–102, मंदसौर–148, शहडोल–112, सिंगरौली –143, टीकमगढ़–137, विदिशा–104, उमरिया–108, सागर–121

9. उपरोक्त जिलों में पात्र/अपात्र पायी गई लंबित सायकिलों के संबंध में एक सप्ताह में कार्यवाही कर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।

पाठ्य पुस्तक वितरण समीक्षा :–

1. पाठयपुस्तकों का 2 वर्ष तक उपयोग कर पुस्तकें जमा करने की कार्यवाही अतिशीघ्र की जावें।
2. 21 से 30 के बीच ब्लाक स्तर पर खुलने वाले स्कूलों में कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई है, की विषयवार जानकारी एकत्रित की जावें।
3. प्राप्त पुस्तकों को लायब्रेरी में रखवाया जावें।

संचालक द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर दिये गये निर्देश :–

1. लैपटॉप वितरण के कार्यक्रम हेतु दो दिवस में मेल के माध्यम से बच्चों की सूची जिलों को उपलब्ध कराने तथा उनके खातो, आईएफएससी कोड आदि अन्य जानकारियों का वेरिफिकेशन कराने हेतु कहा गया जिससे की बच्चों के खातों में राशि ट्रांसफर करते समय कोई दिक्कत न हो।
2. राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोस्साहन राशि प्रदाय करने संबंधी उनकी जानकारी/सूची सभी संभागों को गूगल ड्राईव पर बच्चों के बैंक खाते, आईएफएससी कोड इत्यादि की जानकारी वेरिफाई करने हेतु उपलब्ध करायी गई थी, किन्तु अभी तक बच्चों के वेरीफिकेशन की जानकारी उपलबध नहीं करायी गई है। उक्त सूची में सबंसे अधिक बच्चें भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर संभाग के है, तत्काल बच्चों की वेरीफिकेशन की जानकारी उपलब्ध करायें।
3. दिनांक 25 एवं 26 मई को जिलों के समस्त पीटीआई एवं उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 25 को इन्दौर, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम संभाग तथा दिनांक 26 को भोपाल, उज्जैन, शहडोल संभाग के लिये यह कार्यशाला रखी गई है। इस कार्यालय में अनिवार्यतः अपने जिलें के पीटीआई एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों की उपस्थिति सुनिश्चित् करायें।

अंत में धन्यवाद के साथ वीडियो कान्फ्रेंस समाप्त की गई।

26/5/18
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश